—: आदेश :—

अतः मौजा ग्राम उमाजी का खेड़ा पटवार हल्का उगाजी का खेड़ा स्थित आराजी नम्बर 435/2 एकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि में विपक्षीगण कैलाश चन्द्र पि. नन्दा 1/10, गोपाल पि. नन्दा 1/10, सुगनलाल पि. नन्दा 1/10, जीतीबाई पि. नन्दा 1/10, घीसी देवी पत्नि नन्दा 1/10 धाकड़ सा0 देह का नाम हटाया जाकर विपक्षीगण के स्थान पर खातेदार शंकरलाल, दिनेश कुमार पिता घीसालाल धाकड़ का नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** स्वीकार किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 04/07/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियां

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण को तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी।

विपक्षीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तथा विपक्षी संख्या 1, 8, 9 की ओर से अधिवक्ता मुकेश धाकड़ ने U. T. ली।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ मौजा उमाजी का खेडा की जमाबन्दी सम्वत 2067–2077, जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074, नामान्तरण सं. 362, नामान्तरण सं. 404, जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खाता सं. 105, जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 खाता सं. 40 की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रकरण में विपक्षी पैराकार सरकार, राजस्थान सरकार मार्फत भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां से रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार बिजौलियां के पत्रांक/राजस्व/PDDU/25/02 दिनांक 24.06.2025 से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली हैं :–

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में अंकित किया कि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के खाता 40 पर दर्ज आराजी नम्बर 486/435 रकबा 0.1376 है0 नन्दा पिता तुलसीराम धाकड़ सा0 देह के नाम दर्ज हुई है जो सही है। आराजी नम्बर 435/2 रकबा 0.1457 है0 शंकरलाल, दिनेश कुमार पिता घीसालाल धाकड़ सा0 देह के साथ– साथ नन्दा पिता तुलसीराम के नाम दर्ज हो गई। जो बाद में नामा. सं. 404 विरासत से उसके वारिसान कैलाश चन्द्र, गोपाल, सुगनलाल, जीतीबाई पिता नन्दा घीसी देवी पत्नि नन्दा धाकड़ सा0देह के नाम दर्ज हुई। जो सही नही हैं। अतः आराजी नम्बर 435/2 रकबा 0.1457 है0 भूमि में से कैलाश चन्द्र पि. नन्दा 1/10, गोपाल पि. नन्दा 1/10, सुगनलाल पि. नन्दा 1/10, जीतीबाई पि. नन्दा 1/10, घीसी देवी पत्नि नन्दा 1/10 धाकड़ सा0 देह का नाम हटाया जाना उचित होगा।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान की सुनी गई हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने मौजा ग्राम उमाजी का खेडा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा स्थित आराजी नम्बर 435/2 रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि में विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर भूमि वादीगण ने नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहा हैं। तहसीलदार बिजौलियां ने भी अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर भूमि वादीगण ने नाम दर्ज किये जाने हेतु अपनी सहमति दी हैं।

लगातार पेज संख्या 04 पर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ★ सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ ★

शिविर प्रभारी
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

उपस्थित :- 1. जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण
2. मुकेश कुमार धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1, 8, 9

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 04/07/2025

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम** के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थीगण की पुश्तैनी जमीन मौजा ग्राम उमाजी का खेड़ा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा स्थित हैं। जो जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 में खातेदार घीसालाल, नन्दा पिता तुलसीराम धाकड़ के नाम आराजी नम्बर 435/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वां दर्ज रेकॉर्ड हैं। घीसालाल की मृत्यु होने से नामान्तरकरण संख्या 274 विरासत से घीसालाल के बजाय शंकरलाल, दिनेश कुमार पिता घीसालाल, सुगरी, जेली, गोपाली, भुली, सुशीला पुत्री घीसालाल के नाम दर्ज रेकॉर्ड की गयी। जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 18.05.2018 हकत्याग से सुगरी, जेली, गोपाली, भुली, सुशीला पुत्री घीसालाल का हिस्सा शंकरलाल, दिनेश कुमार पिता घीसालाल के पक्ष में किया। उसके पश्चात् खातेदार शंकरलाल, दिनेश कुमार पिता घीसालाल 1/2 व नन्दा पिता तुलसीराम धाकड़ 1/2 के मध्य सहमति बंटवाड़ा किया गया। जिसका नामान्तरण संख्या 362 दिनांक 09.07.2018 सहमति बंटवाड़ा से खातेदार शंकरलाल, दिनेश कुमार पिता घीसालाल धाकड़ आराजी नम्बर 435/2 रकबा 18 बिस्वां एवं नन्दा पिता तुलसीराम धाकड आराजी नम्बर 486/435 रकबा 17 बिस्वां दर्ज रेकॉर्ड की गयी हैं। जमाबन्दी का अगला रोटेशन सम्वत 2075 से 2078 तैयार किया गया जिसमें दोनो के खाते अलग–अलग दर्ज किये गये। किन्तु बावजूद बंटवाड़ा के भी सेवन से जमाबन्दी में खाता संख्या 105 पर प्रार्थीगण के नाम के साथ नन्दा पिता तुलसीराम का नाम दुबारा दर्ज कर दिया गया। जबकि बंटवाड़ा से नन्दा पिता तुलसीराम का हिस्सां व खाता व आराजी नम्बर 486/435 ही अलग दर्ज कर दिया दिया गया था उसके पश्चात नन्दा धाकड़ की मृत्यु होने से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 06.01.2022 से प्रार्थीगण के साथ नन्दा के वारीसान विपक्षीगण के नाम का अंकन कर दिया गया जबकि उक्त आराजी नम्बर 435/2 से नन्दा के हिस्से में आयी आराजी नम्बर 486/437 में आज भी नन्दा पिता तुलसीराम के नाम खाता बदस्तुर चला आ रहा हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मौजा ग्राम उमाजी का खेड़ा पटवार हल्का उमाजी का खेड़ा स्थित आराजी नम्बर 435/2 रकबा 0.1457 हैक्टेयर भूमि में विपक्षीगण का नाम हटाये जाने का आदेश फरमाया जावें।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ... बिजौलियाँ

लगातार पेज संख्या 03 पर

शिविर प्रभारी
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 180 / 2024 दायर तारीख 29.05.2024

अनवान

1. शंकरलाल पिता घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. दिनेश पिता घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियां

............प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द्र पुत्र नन्दा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
2. गोपाल पुत्र नन्दा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
3. सुगनलाल पुत्र नन्दा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
4. घीसी देवी पत्नी नन्दा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
5. अजीत माता जीती पिता मोहन जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुजरो की नुण तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
6. राहुल माता जीती पिता मोहन जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुजरो की नुण तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
7. कृष्णा माता जीती पिता मोहन जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुजरो की नुण तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
8. ललीता माता जीती पिता मोहन पत्नि ब्रह्मानन्द जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुजरो की नुण हाल मुकाम मानपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
9. अन्जुला माता जीती पिता मोहन पत्नि अजीत जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुजरो की नुण हाल मुकाम रामनगर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
10. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा राजस्थान (राज0)

............विपक्षीगण

लगातार पेज संख्या 02 पर

शिविर प्रभारी
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
सम्बल पखवाड़ा 2025 ,बिजौलियाँ

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 80)

इजलास उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

शंकरलाल वर्मा बनाम कैलाश चन्द्र वर्मा

किस्म मुकदमा 136 रा.भू.रा.अधि. नम्बर 180 /2024

हुक्म या कार्यवाही मय प्रतिनिधियों के	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थना पत्र रीडर से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 10/06/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया	
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक ~~13/6/24~~ 26/6/24 को वास्ते ~~14/6/24~~ पेश हो। गैर तलबी उप खण्ड अधिकारी	
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 10/7/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
पत्रावली पेश हुई विपक्षी (2, 3, 4, 5, 6, 7,) की बाद तामील प्राप्त विपक्षी की तामील शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी को 3-बार आवाज लगाई गई। विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। शेष की तामील हेतु पुन: तलबाना दिनांक 14/8/24 को पेश हो	
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रत्रावली दिनांक 3/9/24 को वास्ते [illegible] पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	विपक्षी नं. 1, 8, 9 की ... से O.T. ली 3/9/24